

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1380
गुरुवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक)

पंजाब में श्रम न्यायालयों में रिक्तियां

1380. श्री संत बलवीर सिंह:

क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की पंजाब स्थित केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े पीठासीन अधिकारी के पद को भरने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने उक्त पदों के रिक्त रहने के कारण राज्य के श्रम क्षेत्र के समक्ष आ रही कठिनाइयों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार के पास उक्त न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या संबंधी कोई आंकड़ा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारानन्दलाजे)

(क) और (ख): संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में दो केंद्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह- न्यायालय (सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय) अर्थात् चंडीगढ़-I और चंडीगढ़-II स्थापित हैं। पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय चंडीगढ़-II का पद पहले से ही भरा हुआ है। पूर्व पदाधिकारी द्वारा कार्यभार त्याग किए जाने के कारण दिनांक 27.11.2025 से पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय चंडीगढ़-I का पद रिक्त है।

सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय, चंडीगढ़-I का कामकाज सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करने तथा श्रम क्षेत्र को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से बचाने के लिए, पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय, चंडीगढ़-I के पद का अतिरिक्त प्रभार पीठासीन अधिकारी, सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय, चंडीगढ़-II को सौंपा गया है।

(ग): दिनांक 01.07.2026 की स्थिति के अनुसार, लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

- (i) चंडीगढ़-I - 1165
- (ii) चंडीगढ़-II - 847
